न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/86

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण सिंह पिता मथूरा सिंह जाति राजपुत जर्ये कायममुकामान
   1/1 भंवरसिंह पिता नारायण सिंह राजपुत निवासी रेलवे कॉलोनी कोटा राज.
   1/2 रूपरेखा पुत्री नारायण सिंह राजपुत निवासी सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर
   1/3 सन्तोष कंवर पुत्री नारायण सिंह राजपुत निवासी गली नं. 1 पुनम कॉलोनी कोटा
   1/4 अन्तिमा राठोड पुत्री नारायण सिंह राजपुत निवासी रेलवे कॉलोनी कोटा राज0
   1/5 मंजू कंवर पुत्री नारायण सिंह राजपुत निवासी पंचायत समिति हाउस नं. 8 बारा
2. चन्द्रभान सिंह पिता मथुरा सिंह राजपुत निवासी पुनम कॉलोनी कोटा राज.
3. विजेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत निवासी रेलवे कॉलोनी कोटा जिला कोटा
4. जितेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपुत निवासी रेलवे कॉलोनी कोटा, जिला कोटा
5. कृष्णा पत्नी मोहन सिंह राजपुत निवासी रेलवे कॉलोनी कोटा जिला कोटा
6. रामसिंह पिता गोपीलसिंह राजपुत निवासी रेलवे कॉलोनी कोटा जिला कोटा
7. हनुमान सिंह पिता गोपीलसिंह राजपुत रेलवे कॉलोनी कोटा राज0 मृतक कायम मुकाम
   7/1 मिथलेस पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपुत
   7/2 देवेन्द्र सिंह पिता हनुमान सिंह जाति राजपुत
   7/3 आर.एस.राठौर पिता हनुमान सिंह जाति राजपुत
   7/4 मिनाल पुत्री हनुमान सिंह पत्नी हेमन्त सिंह जाति राजपुत निवासीगण पुनम कॉलोनी कोटा जिला कोटा राज.
8. अनारसिंह पिता गोपी राजपुत निवासी रेलवे कॉलोनी कोटा राज0
9. विजेन्द्रे सिंह पिता घनश्याम जाति राजपुत निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारा राज.
10. सुरेन्द्र सिंह पिता घनश्याम जाति राजपुत निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारा राज.
11. लीला देवी पत्नी घनश्याम जाति राजपुत निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारा राज.

—रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील संख्या 2025/86</u>

<u>सरकार बनाम नारायण सिंह का0मु0 भंवर सिंह वगै0</u>

उपस्थित :–
1. पेरोकार सरकार, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कपिल सैनी तथा श्री सुरेश वर्मा अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 11 की ओर से

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 31.12.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा वाद संख्या 34/2017 में पारित निर्णय एवं अन्तिम डिकी दिनांक 27.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कथन किया कि प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 तक वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज० की खेवट खतोनी सं० नई 15 पुरानी 71 की कृषि भूमि खसरा नं0 117/250 रकबा 13 बीघा किस्म उतार II स्थित है। जो राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में वादीगण सं0 1 लगायत 2 व वादीगण सं० 3 लगायत 4 के पिता तथा वादी सं0 5 के पति स्व० मोहनसिंह एवं वादीगण सं0 7 लगायत 10 के पिता व वादी सं0 11 के पति गोपीसिंह व कजोडी बाई बेवा मथुरासिंह कोम राजपूत साकिन बलवन के नाम दर्ज थी। नकल जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 तक वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो वाद पत्र का एक भाग है। ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ में सम्वत 2041 से 2060 तक के दौरान बन्दोबस्त कार्यवाही सम्पादित की गई थी। बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियो ने वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजी खसरा नं0 117/250 रकबा 13 बीघा के नये खसरा नं. 119, 120, 112/510 कायम किये जो सही है। लेकिन बन्दोबस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियो ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्षम न्यायालय व अधिकारी के उपर्युक्त आदेश के बिना वाद विषयक आराजी का पुराना रकबा 13 बीघा को कम करते हुए नये खसरा नं. 119 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नं. 120 रकबा 0.89 हैक्टेयर खसरा नं.112/510 रकबा 0.27 हेक्टेयर कायम करते हुऐ बन्दोबस्त जमाबन्दी तैयार करते समय सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। यहाँ यह भी उल्लेखित किया जाता है कि बन्दोबस्त विभाग को पुराने राजस्व रिकोर्ड का रिपिटेशन करने का अधिकार है न कि पुराने राजस्व रिकोर्ड में रददोबदल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादीगण बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के पूर्व 13 बीघा कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहे और बन्दोबस्त के पश्चात भी मौके पर 13 बीघा कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहकर कृषि लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादी से वाद विषयक आराजी पर खातेदार कृषक घोषित करने व पुराने रकबे के अनुसार

रकबा संशोधित करने का निवेदन मौखिक रूप से किया जाता रहा है। लेकिन प्रतिवादी ने वादीगण के निवेदन पर कोई ध्यान नही दिया गया। अन्तिम बार प्रतिवादी से वादीगण ने मई 2017 के प्रथम सप्ताह में इन्द्राज दुरूस्ती व पुराने रकबा अनुसार रकबा में संशोधन करने का मोखिक रूप से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण को वाद विषयक आराजी पर से बेदखल करने की धमकी दी गई। यही वाद कारण है। जो नियमित रूप से पैदा हो रहा है। वादीगण को वेधानिक अधिकार प्राप्त है कि वाद विषयक आराजी खसरा नं0 119, 120, 112/510 पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा प्राप्त करने व प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रतिवादी के विरूद्ध वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश करे जबकि प्रतिवादी को इन्द्राज दुरूस्ती करने व वादीगण को बेदखल करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी वाद विषयक आराजी सिवाय चक दर्ज होने का नाजायज रूप से फायदा उठाकर विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल करने की कार्यवाही करने पर आमादा होने के कारण वादीगण का वादपत्र अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण राज्य सरकार को धारा 80 जा०दी० का नोटिस दिया जाकर नोटिस कि निर्धारित अवधि के बाद वाद पत्र पेश करने पर वाद कारण समाप्त हो जायेगा। इसलिए नोटिस के अभाव में वाद पत्र पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) जा०दी०वाद पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 में दर्ज सहखातेदार कजोड़ी बाई बेवा मथुरासिंह का स्वर्गवास हो गया है। जिसके कायम मुकामान वादीगण है। सहखातेदार मोहनसिंह आ० मथुरासिंह का भी स्वर्गवास हो गया हे। जिसके कायम मुकाम वादीगण सं० 03 लगायत 6 है एवं सहखातेदार गोपीसिंह आ० मथुरासिंह का स्वर्गवास हो गया है। जिसके कायम मुकाम वादीगण सं0 7 लगायत 11 है।

अतः वादी ने दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित की जावें– (1) यह कि वाद विषयक आराजी खसरा नं. 119 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नं. 120 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नं. 112/510 रकबा 0.27 हैक्टेयर का कुल रकबा पुराने खसरा सं० 117/250 रकबा 13 बीघा के अनुसार संशोधित कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार इन्द्राज किया जाकर दुरूस्त किया जावें । (2) प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को वाद विषयक आराजी पर से बेदखल करने की कार्यवाही धारा 91 भू–राजस्व अधि० के तहत नही करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करे और वादीगण के द्वारा बोई गई फसल को भविष्य मे जप्त करने की कार्यवाही नही करे ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियो से करावे। (3) अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण के पक्ष में सुलभ हो वह प्रतिवादी के विरुद्ध प्रदान की जावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.08.2024 के द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुए आदेश दिया गया कि ग्राम कंवरपुरा, तहसील इन्द्रगढ के नये खसरा नंम्बर 119 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.89 है0 व खसरा नम्बर 112/510 रकबा 0.27 है0 के स्थान पर 0.50 है0 कुल रकबा 2.08 है0 संशोधित किया जाकर दुरस्त किया जाता है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सिवायचक काबिज काश्त को विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी सं0 1 के कायम मुकाम वादी सं0 1/1 से 1/5 को हिस्सा 1/4 व वादी सं0 2 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 3 लगायत 5 को हिस्सा 1/4 एवं वादी सं0 6 लगायत 8 व 9 लगायत 10 को हिस्सा 1/4 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 27.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील मियाद बाहर पेश करते हुए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 11 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपीलांट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम के धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय के सम्बन्ध मे विधि विभाग के द्वारा समीक्षा किये जाने एवं उक्त सम्बन्ध में अपीलान्ट को सूचित कर अपील प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान करने पर जानकारी होने के उपरान्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है इसलिये निर्णय की तिथि से अब तक की अवधि को न्यायहित में मुजरा किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपीलान्ट का उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में देरी किये जाने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, अपितु निर्देश प्राप्त होने पर तुरन्त प्रभाव से बिना विलम्ब किये अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण का निर्णय गुण व अवगुण के आधार पर होना कानूनन आवश्यक है, इसलिये नैसर्गिक न्याय के नियमों की पालना के अनुक्रम में देरी को क्षमा किया जाना बहुत जरूरी है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है, जो सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट ने एक वाद मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी लाखेरी मे धारा 88,89,188 एवं धारा 136 आर.टी. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ख सं. 119,120,112/510 कुल किता 3 जिसके पुराने ख.सं. 117/250 रकबा 13 बीधा वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे विस्थित है, उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 में गोपीसिंह, नारायण सिंह, चन्द्रभान सिंह, मोहनसिंह पिता मथुरा सिंह, कजोडी बेवा मथूरा सिंह के नाम खाते दर्ज थी। सम्वत् 2041 से 2050 तक बदोबस्त की कार्यवाही के दौरान आराजी ख.सं. 117/250 रकबा 13 बीघा के नये नम्बर ख.स. 119,120,112/510 कायम किये जाकर बन्दोबस्त अधिकारीयो एवं कर्मचारियों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्षम न्यायालय व अधिकारी के उपयुक्त आदेश के बिना बन्दोबस्त जमाबंदी तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादीगण बन्दोबस्त सम्वत् 2041 से 2060 के पूर्व व बाद में उक्त भूमि 13 बीघा मे लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने मई 2017 के प्रथम सप्ताह में भूमियो के राजस्व रिकार्ड में संशोधन के लिये मौखिक निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी के द्वारा ामकी दी गई कि हम तुम्हे बेदखल करेंगे, इस आधार पर वाद कारण उत्पन्न होना कित करते हुये एवं उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार होना अंकित करते हुये प्रार्थना की, कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम खाते दर्ज की जावे। उक्त वाद पेश होने पर दिनांक 18.7.2017 को दर्ज कर तलबी जारी की गई, तथा दिनांक 29.12.2017 को आदेशिका में प्रतिवादी अपीलान्ट की तलबी होना अंकित करते हुये जवाब सरकार हेतु पेशी नियत की गई प्रतिवादी अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 20.7.2018 को जवाब सरकार पेश कर वादीगण के तथ्यों से इन्कार करने पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी लेखबद्ध की गई। तथा प्रतिवादी अपीलान्ट को जिरह एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना दिनांक 27.8.2024 को वाद स्वीकार कर डिकी किया गया। निर्णय व डिकी दिनांक 27.8.2025 के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा निम्न आधारो पर अपील पेश की जा रही है। अपीलाधीन निर्णय व डिकी वस्तुस्थिति व विधान एवं विधिक प्रक्रियाओं के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.8.2024 को बाद स्वीकार करते समय प्रकरण के तथ्यो एवं साक्ष्य को अनदेखा कर जल्दबाजी मे निर्णय कर दिया है, जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने वाद में अंकित किया गया कि बन्दोबस्त कार्यवाही सम्वत् 2041 से 2060 के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियो के द्वारा भूमि के नये नम्बर कायम कर भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई, जबकि रेस्पोडेन्टगण के द्वारा साल 2017 में उक्त वाद पेश किया गया है, उक्त दीर्घावधि मे रेस्पोडेन्ट के द्वारा भूमि को पुनः खाते दर्ज किये जाने बाबत् की गई कार्यवाहीयो के बाबत् न तो अपने वाद में अंकन किया गया है एवं न दस्तावेज पेश किये गये है, इस प्रकार रेस्पाडेन्ट का वाद अवधि बाधित होने के बावजुद दर्ज कर स्वीकार

कर लिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ का उल्लघंन है तथा निर्णय दिनांक 27.8.2024 खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने वाद में मई 2017 के प्रथम सप्ताह में वाद कारण उत्पन्न होने का कथन किया है, जबकि वाद 18.7.2017 को दर्ज रजिस्टर हुआ है एवं धारा 80 जा.दी के तहत अपीलान्ट को नोटिस नही दिया गया है, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के पास पर्याप्त समय होते हुये भी धारा 80 जा.दी के प्रावधानो की पालना नहीं की गई तथा ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली में पेश नही किया गया है। जिससे मई 2017 के प्रथम सप्ताह में वाद कारण उत्पन्न प्रमाणित हो रहा हो. इसके बावजुद वाद को आवश्यक प्रकृति का होना मानते हुये वाद दर्ज कर स्वीकार किया जाकर निर्णित व डिक्री किया गया है, इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2024 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट के वाद का मूल आधार जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 है, उक्त राजस्व रिकार्ड से वादीगण के वाद विषयक भूमि मे निरन्तर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है, रेस्पोडेन्ट के द्वारा कब्जे की निरंतरता प्रमाणिकरण हेतु साक्ष्य में दस्तावेज भी पेश नहीं किये गये है, इस प्रकार साक्ष्यो एवं तथ्यो की उपेक्षा कर वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचारण के दौरान अपीलान्ट को जिरह का अवसर नही दिया गया है एवं न साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया गया है, इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना वाद निर्णित व डिक्री किया गया है, इसलिये निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2024 निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में वाद विषयक भूमि में रेस्पोडेन्ट का कब्जा होने से इन्कार किया गया है. इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का कब्जा अप्रमाणित होते हुये न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.8.2024 निरस्त होने योग्य है। राज्य सरकार के द्वारा बन्दोबस्त कार्यवाही के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियो के द्वारा मौके पर जौत होने के आधार पर खातेदारी अधिकार दर्ज किये जाने बाबत् बन्दोबस्त अधिकारीयो को अधिकृत किया गया था, बन्दोबस्त अधिकारीयो के द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व कार्यवाही करने के उपचार उपलब्ध होने के बावजुद रेस्पाडेन्ट के द्वारा नियमित वाद पेश कर दिया गया जो विधिक रूप दर्ज योग्य नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया. इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 27.8.2024 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी विधि विभाग के द्वारा निर्णय की समीक्षा के बाद सुचित करने पर होने पर अविलम्ब अपील पेश की जा रही है। निर्णय दिनांक 27.08.2024 से अब तक के विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08. 2024 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता अपीलांट के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए रेस्पो0 क्रम 01 लगायत 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ में सम्वत 2041 से 2060 तक के दौरान बन्दोबस्त कार्यवाही सम्पादित

की गई थी। बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों ने उक्त वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 117/250 रकबा 13 बीघा के नये खसरा नम्बर 119, 120, 112/510 कायम किये जो सही है। लेकिन बन्दोबस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्षम न्यायालय व अधिकारी के आदेश के बिना वाद विषयक आराजी का पुराना रकबा 13 बीघा को कम करते हुए नये खसरा नम्बर 119 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 112/510 रकबा 0.27 हैक्टर कायम करते हुए बन्दोबस्त जमाबन्दी तैयार करते समय सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। बन्दोबस्त विभाग को पुराने राजस्व रिकार्ड का रिपिटेशन करने का अधिकार है , पुराने राजस्व रिकार्ड में रददोबदल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण रेस्पोडेन्ट बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के पूर्व 13 बीघा कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहे और बन्दोबस्त के पश्चात भी मौके पर 13 बीघा कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहकर कृषि लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से निष्पक्ष जांच करते हुए विधि सम्मत प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2024 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके बाद भी प्रतिवादी अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करना न्यायालय का वक्त बर्बाद करने की मंशा को दर्शाता है। अपीलांट द्वारा न्यायालय तथा रेस्पो0 वादी का समय बर्बाद करने की नियत से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कहे गए कथन पूर्णतया मिथ्या तथा बेबुनियाद है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2013 पेज संख्या 143, आरआरडी 2003 पेज संख्या 175 व 298, आरआरडी 2008 पेज संख्या 64, आरआरडी 2001 पेज संख्या 60 पेश किये। अंत में अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपील अपीलांट धारा–5 मियाद अधिनियम का खण्डन किया तथा अपील मियाद के बिन्दु पर सव्यय खारिज करने का निवेदन किया ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पो0 की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचाराधीन न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व रेस्पोडेन्ट की बहस पर अवलोकन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट की

ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट द्वारा कथन किया गया कि खसरा सं. 119,120,112/510 कुल किता 3 जिसके पुराने ख.सं. 117/250 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे विस्थित है, उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 में गोपीसिंह, नारायण सिंह, चन्द्रभान सिंह, मोहनसिंह पिता मथुरा सिंह, कजोडी बेवा मथुरा सिंह के नाम खाते दर्ज थी। सम्वत् 2041 से 2050 तक बदोबस्त की कार्यवाही के दौरान आराजी ख.सं. 117/250 रकबा 13 बीघा के नये नम्बर ख.स. 119,120,112/510 कायम किये जाकर बन्दोबस्त अधिकारीयो एवं कर्मचारियों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सक्षम न्यायालय व अधिकारी के उपयुक्त आदेश के बिना बन्दोबस्त जमाबंदी तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादीगण बन्दोबस्त सम्वत् 2041 से 2060 के पूर्व व बाद में उक्त भूमि 13 बीघा मे लगातार काबिज़ काश्त चले आ रहे है।वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वाद विषयक आराजी को संशोधित कर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बन्दोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक के पूर्व राजस्व रिकार्ड के अनुसार इन्द्राज किया जाकर दुरस्त किये जाने व प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से इस तरह पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण का वाद विषयक आराजी पर से बेदखल करने की कार्यवाही धारा 91 ए भू राजस्व अधिनियम के तहत नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने का आदेश दिये जाने का वाद प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को अवलोकन करने पर पाया गया कि बन्दोबस्त कार्यवाही सम्वत 2041 से 2060 के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा भूमि के नये नम्बर कायम कर भूमि सिवायक चक दर्ज कर दी गई लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा साल 2017 में वाद पेश किया गया है। उक्त दीर्घावधि में रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि को पुनः खाते दर्ज किये जाने बाबत की गई कार्यवाही का उल्लेख अपने वाद में नहीं किया गया है एवं ना ही कोई दस्तावेज पेश किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा वाद विषयक भूमि में कब्जे की निरन्तरता प्रमाणिकरण हेतु कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश होना भी नहीं पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दौरान प्रतिवादी अपीलांट को जिरह का अवसर नहीं दिया गया है एवं ना ही साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया है, जो कि हमारे मत में न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः हमारे मतानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलांट क़ो सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 30.01.2026 को स्वंय उपस्थित हों । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा